

सेटेलाइट से खुली बिल्डरों की पोल 29 संदिग्ध प्रोजेक्ट की जांच शुरू

नियम तोड़ प्लॉट-फ्लैट बेचने वालों पर शिकंजा, **खरीदारों की गाढ़ी कमाई बचाना उद्देश्य**

रेरा का बड़ा अभियान

जागरण संवाददाता, पटना : राजधानी में अपने घर की चाहत में फ्लैट या प्लॉट के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई फंसाने वाले बिल्डरों पर अब भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का शिकंजा कसने जा रहा है।

जिला व नगर निकाय प्रशासन की मदद से ऐसे बिल्डरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के लिए रेरा ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अब सेटेलाइट से निगरानी कर रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहे खेल का पर्दाफाश किया जाएगा। सेटेलाइट चित्र आधारित जांच (इमेजरी बेस्ड इंस्पेक्शन यानी आइबीआई) में अब तक जिले के 29 बिल्डरों-परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन पर रेरा अधिनियम के उल्लंघन का संदेह है। जिला प्रशासन, नगर निगम, अन्य निकाय व रेरा की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई के लिए स्थल जांच शुरू कर दी है। डीएम डा. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक के बाद संयुक्त जांच दलों ने कानूनी कार्रवाई के लिए इन परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। रेरा अधिनियम के प्रविधानों को सख्ती से लागू कराने के लिए हुई बैठक में रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह, सचिव अनिमेष पांडेय, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, रेरा के अन्य अधिकारी व क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। रेरा जांच आयुक्त ने कहा कि रेरा अधिनियम को सख्ती से अक्षरशः लागू कराने के लिए जिला व म्युनिसिपल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।



रेरा के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम। सौ : जिला प्रशासन

प्लॉटिंग कर बेचने वाले इन नियमों का करें पालन

- बिक्री किए जाने वाले प्लॉट पर प्रोजेक्ट का रेरा निबंधन जरूरी है।
- अगर नहीं कराया तो रेरा अधिनियम के तहत दंड के भागी हो सकते हैं।
- पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
- प्लॉट खरीदने वालों का पैसा भी फंस सकता है।
- ऐसे प्लॉट्स के निबंधन व दाखिल-खारिज पर रोक लगाई जा सकती है।
- आप अपने प्रोजेक्ट का रेरा निबंधन आनलाइन करवा सकते हैं।
- कानून तोड़ कर अपना व अपने ग्राहकों का अहित नहीं करें।

जनता दरबार में आते मामले वर्षों परेशान करती गलती

डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने रेरा अधिनियमों की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि जमीन-राजस्व संबंधी मामले काफी संवेदनशील होते हैं। एक छोटी सी त्रुटि का प्रतिकूल प्रभाव कई दशक तक रहता है। जनता दरबार में ऐसे अनेक मामले आते हैं, जिसमें क्रेताओं के साथ टिक व फ्राड किया गया होता है। एसडीओ-एसडीपीओ व अन्य वरीय अधिकारियों को वे जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। ऐसे मामलों को रोका जा सकता है यदि क्रेता प्लॉट-फ्लैट खरीदने से पहले प्रोजेक्ट की रेरा निबंधन संख्या व रेरा के अन्य प्रविधानों के अनुपालन की बारीकी से जांच कर लें।

500 वर्ग मीटर या आठ से अधिक फ्लैट पर रेरा निबंधन अनिवार्य

डीएम ने बताया कि बिक्री के लिए बनाए जा रहे ऐसे अपार्टमेंट जिनमें आठ से अधिक फ्लैट हों या परियोजना का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक हो, उनका रेरा निबंधन अनिवार्य है। इसी तरह 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली प्लॉटिंग परियोजनाओं का भी रेरा में पंजीकरण आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैर-निबंधित परियोजनाओं में निवेश करने पर खरीदारों का पैसा फंस सकता है और ऐसे प्लॉटों के निबंधन व दाखिल-खारिज पर भी रोक लग सकती है। रेरा के नियमों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने रेरा व नगर निकायों के अधिकारियों संग बैठक कर संयुक्त जांच दल बनाए, परियोजनाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश

प्लॉट खरीदने से पहले दें ध्यान

- प्रोजेक्ट की रेरा निबंधन संख्या की जांच करें।
- निबंधन संख्या बीआरईआरएपी अक्षरों से शुरू होती है।
- गैर-निबंधित प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीदने से आपका पैसा फंस सकता है।
- ऐसे प्लॉट्स के निबंधन-दाखिल-खारिज पर रोक लगाई जा सकती है।

रेरा ने अब तक की कार्रवाई

पटना में संदिग्ध परियोजनाएं	29
दरभंगा में कार्रवाई	19 मामले
सारण में कार्रवाई	18 बिल्डर
मुजफ्फरपुर में कार्रवाई	11 बिल्डर
भागलपुर में कार्रवाई	9 बिल्डर
पूर्णिया में कार्रवाई	5 बिल्डर

राजधानी से सटे इन क्षेत्रों में हो रही सघन जांच

डीएम ने कहा कि राजधानी से सटे दानापुर-शिवाला-कन्हौली रोड, मीठापुर एलिवेटेड बाईपास से पुनपुन वाया संपतचक व एम्स से नौबतपुर तक के क्षेत्रों का रेरा व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आइबीआई अभियान के तहत निरीक्षण

किया है। संयुक्त जांच को रिपोर्ट देने को कहा गया है। निरीक्षण में पाए गए तथ्यों के आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

OFFICE OF THE ADDITIONAL
Sinchal Bhavan, J.L.N. mar
No.-F/418/AGE/JPR/Acct

On behalf of the Governor of
work of - "Construction of A
warawas GP Kanwarawas P
cum causeway near Village
Tonk." (Estimated value of wo
is 29/06/2026. Detailed Bid &
official website (http://eproc.
NIB Code No.-WRD 2627AC
UBN No.- WRD2627 W LOE